

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2002 (आषाढ़ 26, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकर्ता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरवाहन करवाधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ पटल पर रखेंगे :-

- (क) एफ.22-214-2001-आठ, दिनांक 3 नवम्बर, 2001
- (ख) एफ-22-214-2001-आठ, दिनांक 22 फरवरी, 2002 तथा
- (ग) एफ-4-21-98-आठ, दिनांक 22 मार्च, 2002

(2) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्प्यूटरीज एक्ट, 1958 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्व श्री भूपेन्द्र सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को अमानक स्तर का सोयाबीन बीज वितरण से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, छिन्दवाड़ा शहर स्थित पुलिस शस्त्रागार में विस्फोट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. नियम 139 के अधीन अभिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण,

निर्धारित
समय
1 घंटा
30 मि.

(2) प्रदेश में अधोषित विद्युत कटीली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अजय विश्वाजी, नरेन्द्र सिंह सोमर, नरेन्द्र बिरयारे, नरोत्तम मिश्रा, लक्ष्मीकांत शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह, लक्ष्मणसिंह गौड़, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्यगण चर्चा उठावेंगे.

धोपाल ।
दिनांक : 18 जुलाई, 2002

डॉ. ए.के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.